द्वितीय
वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण
2013-2014

PAAYAS™
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित)

(नोट : हिन्दी भाषा में अनुवादित दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता पाये जाने पर अंग्रेजी भाषा में लिखित दस्तावेज ही अन्तिम रूप से मान्य होंगे।)

निदेशक मंडल

श्री लाल चंद चौधरी	–	अध्यक्ष एवं निदेशक
श्री अनिल कुमार	–	निदेशक
श्री भगवान सहाय	–	निदेशक
श्री बलदेव राम बेरवाल	–	निदेशक
श्री इन्द्र सिंह भाटी	–	निदेशक
श्री सुखपाल जाट	–	निदेशक
श्रीमती कौशल्या कुमारी	–	निदेशक
श्रीमती मंजु जाखड़	–	निदेशक
श्री भंवर लाल जाट	–	अतिरिक्त निदेशक
श्री डूंगर सिंह राठौड़	–	अतिरिक्त निदेशक
श्रीमती कौशल यादव	–	अतिरिक्त निदेशक
श्री सॉमन बिस्वास	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री श्रीराम सिंह	–	विशेषज्ञ निदेशक
श्री अनिल कुमार माथुर	–	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

कम्पनी सचिव
श्री अनूप गुप्ता

वरिष्ठ प्रबन्धक – वित्त
श्री कपिल पचौरी

वैधानिक अंकेक्षक
मैसर्स एस.बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुडगाँव, हरियाणा

आतंरिक अंकेक्षक
अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी
चार्टर्ड एकाउन्टेंटस्,
गुडगाँव, हरियाणा

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
एच.डी.एफ.सी. बैंक
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक

रजिस्टर्ड कार्यालय
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
(CIN : U01211R12012PTC038955)
डी–232, 233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर–302 021 (राजस्थान)
फोन : +91–141–2352737
ईमेल : info@paayasmilk.com
www.paayasmilk.com

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	निदेशकों का प्रतिवेदन	1–9
2.	स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	10–11
3.	स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक	12–15
4.	वार्षिक लेखा विवरण :	
	(अ) 31 मार्च, 2014 की अंकेक्षित बैलेंस शीट	16
	(ब) 31 मार्च, 2014 के लिये लाभ–हानि खाता	17
	(स) रोकड़ प्रवाह विवरण	18
	(द) अनुसूची संख्या (3–37)	19–34
5.	लेखांकन नीतियों का विवरण	35–38

संलग्न : तृतीय आम सभा का सूचना पत्र एवं सम्बंधित अनुलग्नक

प्रिय सदस्यों,

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की तृतीय आम सभा में आप सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करते हुये मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2013–2014 कम्पनी के संचालन का सम्पूर्ण वर्ष था और इस अवधि के दौरान कम्पनी ने रू. 444.36 करोड़ का कुल करोबार किया। कम्पनी ने कर अदा करने के पश्चात् रु. 1.75 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया। आप द्वारा पायस को दी गई दुग्ध की प्रतिपूर्ति की वचनबद्धता के आधार पर लॉयल्टी इन्सेन्टिव दिया गया है जो आपके विश्वास को सुदृढ़ कर और प्रोत्साहित करेगा। कम्पनी के निदेशक मंडल ने आपके द्वारा लिए गये कम्पनी के समता अंशों पर सीमित लाभांश (डीविडेंट) भी देने का प्रस्ताव पारित किया है।

कम्पनी ''**पायस**'' ब्रांड के नाम से पॉली पैक दुग्ध और घी का विक्रय कर रही है। कम्पनी मुद्रिका एवं मुद्रिका गोल्ड के नाम से पशु आहार और मुद्रिका ब्रांड के नाम से मिनरल मिक्सचर भी दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी द्वारा दुग्ध उत्पादकों के पशुओं के लिये उच्च स्तरीय प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के माध्यम से गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जा रहे है। कम्पनी चारा विकास संबंधी गतिविधियों के अर्न्तगत जिसमें चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रदर्शन, घास काटने की मशीन संबंधी प्रदर्शन, चारा भण्डारण प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति कर रही है।

कम्पनी की उत्तरोतर प्रगति में आप द्वारा दिये गये सहयोग के लिये आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा।

आपके द्वारा दिये जाने वाले अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन का सदैव स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित,

आपका सद्भावी,
ह./–
(अनिल कुमार माथुर)
मुख्य कार्यकारी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

अंशधारकों के लिये निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2014 की समाप्त अवधि के कम्पनी के संचालन संबंधी अंकेक्षित खाते द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

कम्पनी का निगमन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधानों के अंतर्गत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में 19 मई, 2012 को राजस्थान राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्राथमिक तौर पर इसके सदस्यों से संग्रहण, क्रय, तथा प्रसंस्करण करने एवं उनके विपणन तथा उनसे संबंधित सभी प्रकार के क्रियाओं हेतु किया गया था।

कम्पनी की गत वर्ष 2012–13 की अवधि 19 मई, 2012 (कम्पनी के गठन की तिथि) से 31 मार्च, 2013 तक थी और कम्पनी ने अन्तिम चार महीनों (फ्लश के महीने) में अपने व्यापार का संचालन किया, इसलिये समीक्षा की अवधि वित्तीय वर्ष 2013–14 के आंकड़े जो कि 12 महीने के हैं, से तुलना नहीं की जा सकती है।

1. वित्तीय परिणाम (Financial Results)

संक्षिप्त में कम्पनी के वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार हैं:–

(रू. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
परिचालन से आय	444.36	161.58
माल सहित कुल व्यय	441.70	161.19
कर पूर्व लाभ/(हानि)	2.66	0.39
कर हेतु प्रावधान	0.91	0.12
कर के पश्चात् अवधि का लाभ/(हानि)	1.75	0.27

वित्तीय वर्ष 2013–14, कम्पनी के संचालन का प्रथम सम्पूर्ण कार्य वर्ष था। हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि समीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी ने रू.444 करोड़ 36 लाख की कुल आय प्राप्त की।

समीक्षा की अवधि के दौरान कम्पनी की दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के विक्रय से कुल आय रू.443.36 करोड़ हुई है जबकि अन्य आय रू.99.46 लाख की थी। वर्ष के दौरान कुल व्यय रू.441.70 करोड़ के थे जिसमें वित्त लागत रू.12.42 लाख और मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय रू.1.29 करोड के सम्मिलित है, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी का कर से पूर्व लाभ रू.2.66 करोड़ और कर के पश्चात् शुद्ध लाभ रू.1.75 करोड़ रहा।

2. सीमित लाभांश (Dividend)

बोर्ड को रू. 10/– प्रति समता अंश की दर से कुल रू.1.07/– करोड़ लाभांश राशि (जिसमें रू.15.61 लाख डीविडेंट डीस्ट्रीब्यूशन टेक्स सहित) देने के लिये अनुशंसा करते हुए प्रसन्नता हो रही है। सीमित आय (लाभांश) का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनका नाम 31 मार्च, 2014 को सदस्यता रजिस्टर में पंजीकृत है।

3. संचय में हस्तांतरण (Transfer to Reserve)

कम्पनी अंतर्नियम एवं बहिर्नियमों के प्रावधानों के अनुच्छेद 11.10 की अनुपालना में एवं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZI के तहत निदेशक मंडल ने रू. 78.04/- लाख की राशि को बैलेंस शीट में सामान्य संचय में जमा करने का प्रस्ताव है।

4. संचालन कार्य (Operations)

कम्पनी राजस्थान के 8 जिलों के 1178 गाँवों तथा अपने संचालन क्षेत्र के 1286 दुग्ध संग्रहण स्थलों से शुद्ध दुग्ध एकत्र कर रही है तथा समीक्षा अवधि के अन्तर्गत, कम्पनी ने 1199.96 लाख लीटर दुग्ध एकत्र किया। एकत्र किए जा रहे दुग्ध के प्रतिफल में कम्पनी अपने सदस्यों को तुलनात्मक रूप से लाभप्रद मूल्य प्रदान कर रही है।

कम्पनी ने अक्टूबर 2013 के महीने में राजस्थान राज्य में भिन्न-भिन्न प्रकार एवं मात्रा में पॉली पैक दुग्ध का विक्रय प्रारंभ कर दिया है। समीक्षा अवधि के दौरान पॉली पैक दुग्ध व घी की कुल विक्रय मात्रा क्रमशः 16.85 लाख लीटर व 116.50 मैट्रीक टन रही। कम्पनी को विश्वास है कि उसके पास अपने दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की मात्रा को विस्तारित करने के लिए बहुत संभावनाऐं है और इसलिए गत वर्ष के दौरान विक्रय एवं वितरण तंत्र को सशक्त बनाने हेतु 68 नवीन वितरकों तथा 580 नये खुदरा व्यापारियों को जोड़ा गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कम्पनी ने 25 नये पायस के दुग्ध बूथ/पार्लर आरम्भ करने का लक्ष्य रखा है।

दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (Milk and Milk Products)

दुग्ध :

कम्पनी ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता उत्पाद प्रदान करने हेतु इच्छा रखती है। लगभग 95 प्रतिशत कच्चे दुग्ध को अवशीतन के पश्चात् बड़ी दुग्ध कम्पनियों को भेजा जाता है। अतिरिक्त दुग्ध को प्रसंस्कृत कर ताजा एवं पौष्टिक दुग्ध उत्पाद बनाये जाते हैं तथा उनको राजस्थान के 12 जिलों में विक्रय किया जाता है।

कम्पनी ने पॉली-पैक दुग्ध विक्रय करने की शुरूआत अक्टूबर 2013 से की है। पॉली-पैक दुग्ध की विभिन्न श्रेणी इस प्रकार हैं:

1. **स्वस्थ एवं उत्तम (फिट एन फाइन) :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 1.5 प्रतिशत तथा एस.एन.एफ. की न्यूनतम मात्रा 9 प्रतिशत।
2. **ताजा :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 3 प्रतिशत तथा एस.एन.एफ. की न्यूनतम मात्रा 8.5 प्रतिशत।
3. **गोल्ड :** प्रत्येक पैक में वसा की न्यूनतम मात्रा 6 प्रतिशत तथा एस.एन.एफ. की न्यूनतम मात्रा 9 प्रतिशत।

घी :

पायस दानेदार घी को चखकर देखने पर एक ताज़ापन का अहसास प्राप्त होता है। घी कम्पनी का पहला उत्पाद है, बाज़ार मे उपलब्ध अन्य समान प्रकार के उत्पाद की तुलना में घी की उत्तम श्रेणी की गुणवत्ता आवश्यकताओं का ध्यान रखने का आश्वासन कम्पनी देती है। वर्तमान में यह 1 लीटर (सिक्का पैकिंग) एवं 15 किलोग्राम के टिन में उपलब्ध है।

पशु आहार (Cattle Feed)

कम्पनी अपने उत्पादक सदस्यों को उत्कृष्ट गुणवत्ता युक्त पशु आहार अत्यंत ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर ''मुद्रिका'' ब्राण्ड के नाम से उपलबध करवा रही है। वर्तमान में पशु आहार के मुद्रिका तथा मुद्रिका गोल्ड नाम के 2 ब्राण्ड दुग्ध उत्पादक को उपलबध हैं। दोनों ब्राण्ड भारतीय मानक ब्यूरों के पशु आहार संबंधी BIS-II मानकों के अनुरूप है।

मिनरल मिक्सचर (Mineral Mixture)

दुधारू पशुओं में उत्पादन एवं शरीर संबंधी समस्याओं के लिये उनके पोषण में खनिजों (मिनरल्स) की कमी सर्वाधिक जिम्मेदार है। अत: दुग्ध उत्पादक को गुणवत्ता युक्त एवं उचित मूल्य पर मिनरल मिक्सचर ''मुद्रिका'' नाम से कम्पनी द्वारा उपलबध करवाया जा रहा है। यह मिनरल मिक्सचर नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड के द्वारा राजस्थान के लिये दिये गये फार्मूले पर आधारित है जोकि राजस्थान की मिट्टी में उपलब्ध खनिजों के अध्ययन के आधार पर बनाया गया है। मुद्रिका मिनरल मिक्सचर पशुओं को उन्हीं खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है जिनकी कि राजस्थान की मिट्टी में कमी है।

5. आगामी योजना (Way Forward)

कम्पनी ने अक्टूबर 2013 के महिने में 'पायस' ब्रांड़ नाम के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न प्रकार एवं मात्रा के पॉली पैक दुग्ध का सफलतापूर्वक शुभांरभ किया था। कम्पनी को ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। कम्पनी ने एक वर्ष से कम की अवधि में 44000 ली. प्रतिदिन के उच्च विक्रय स्तर को प्राप्त कर लिया है। कम्पनी कुछ महीनों के अन्दर दही, छाछ, एवं लस्सी जैसे अन्य दुग्ध उत्पादों को बाजार में ला सकती है।

उत्पादक संस्था विकास (Producer Institution Building)

समीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी के पीआईबी विभाग ने राजस्थान के 5 जिलों में 3595 सदस्यों के लिए सदस्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, जिसमें सदस्यों को कम्पनी के साथ लाभकारी रूप से जुड़े रहने योग्य बनाने के लिए सदस्यता व कम्पनी से सम्बन्धित सूचना एवं उनकी भूमिका से अवगत करवाया गया।

कम्पनी के पास बड़े संचालन क्षेत्र के साथ–साथ एक बहुत बड़ा सदस्यता आधार है, जिस कारण कम्पनी ने सदस्यो को शामिल कर ग्राम संपर्क समूह (वी.सी.जी.) तथा सदस्य संबंध समूह (एम.आर.जी.) नामक अनौपचारिक समूहों का निर्माण करना उचित समझा, ताकि सदस्यों के मुद्दों का निवारण किया जा सके व कम्पनी एवं उसके सदस्यों के मध्य संबंध व जुड़ाव को और मज़बूत किया जा सके तथा दो तरफा प्रभावी संवाद सुनिश्चित किया जा सके। समीक्षा अवधि के दौरान, पीआईबी ने 1047 ग्राम संपर्क समूहों (वी.सी.जी.) तथा 96 सदस्य संबंध समूहों (एम.आर.जी.) का गठन किया, जिनमें क्रमश: 5218 व 1012 सदस्य हैं। वर्ष के दौरान, पीआईबी ने सदस्य संबंध समूहों (एम.आर.जी.) के 843 सदस्यों की क्षमता निर्माण हेतु 77 प्रशिक्षण कार्यक्रम किए। डेयरी के महत्व को समझाने तथा इसको आजीविका का महत्वपूर्ण स्त्रोत मानकर पेशे के रूप में स्वीकार कर करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पी.आई.बी. ने ग्रामीण युवा कार्यक्रम के तहत 51 युवाओं को प्रशिक्षित किया। डेयरी क्षेत्र के महत्व को समझाने एवं दुग्ध, दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादक कम्पनी की गतिविधियों की जागरूकता देने के लिये पी.आई.बी. ने बच्चों के लिए जागरूकता एवं प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम के तहत 98 बचों को प्रशिक्षित किया।

उप–परियोजना योजना (Sub Project Plan)

वित्तीय वर्ष 2013–14 में, कम्पनी ने निम्नलिखित के लिए नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) में स्थित, परियोजना प्रबंधन ईकाई को नेशनल डेयरी योजना – फेज प्रथम के तहत चार उप–परियोजनाओं की योजना पेश की थी:

1. ग्राम आधारित दुग्ध आधिप्राप्ति प्रणाली (वीबीएमपीएस) (Village Based Milk Procurement System)
2. राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)
3. साध्य कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप, व
4. चारा विकास

परियोजना प्रबंधन ईकाई ने नेशनल डेयरी प्लान–फेज प्रथम के तहत ऊपर दी गई सभी उप–परियोजना योजनाओं के लिये अनुदान सहायता की स्वीकृति प्रदान की है। सभी चार योजनाओं को कम्पनी के राजस्थान के पाँच संचालन जिलों जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली एवं टोंक में लागू किया जा रहा है।

ग्राम आधारित दुग्ध आधिप्राप्ति प्रणाली (Village Based Milk Procurement System) (वीबीएमपीएस)

ग्राम आधारित दुग्ध आधिप्राप्ति प्रणाली का लक्ष्य दुग्ध एकत्रिकरण, जागरूकता निर्माण, प्रशिक्षण सत्रों का संचालन तथा अन्य ऐसी गतिविधियों के द्वारा अनेक साझेदारों की कम्पनी निर्माण क्षमताओं का सशक्तिकरण करना है। इसका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी एकत्रिकरण तंत्र स्थापित करना और सदस्यों को उचित व यथासमय भुगतान सुनिश्चित करना है। ग्राम आधारित दुग्ध आधिप्राप्ति प्रणाली द्वारा संगठित डेयरी बाज़ार तक पूरे साल पहुँच बनाये रखकर लघु कृषकों के हितो की रक्षा सुनिश्चित करता है।

कम्पनी की योजना 999 गाँवों में स्थित 1,199 मिल्क पूलिंग पोईन्ट (एम.पी.पी.) को सशक्त करके तथा कुल 2,716 गाँवों में 1,717 नवीन एम.पी.पी. (योजना के अनुरूप) की स्थापना करके पाँच जिलों में ग्राम आधारित दुग्ध आधिप्राप्ति प्रणाली गतिविधि लागू करने की है। परियोजना के समापन पर, अनुमान है कि परियोजना के तहत 1,18,037 सदस्यों को सम्मिलित कर लिया जायेगा तथा 9,48,238 किलो प्रतिदिन दुग्ध एकत्रित करने की योजना है।

इस परियोजना के अन्तर्गत, 600 सहायकों के अनुस्थापन के लिए कम्पनी के द्वारा 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना को समझने के लिए क्षेत्रिय प्रबंधकों, प्रशिक्षकों एवं पीआईबी प्रबंधकों के साथ अनेक सभाएं की गईं। इसके अलावा 236 ग्राम आधारित जागरूकता कार्यक्रमों में 3,595 सदस्यों को डेयरी, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और कम्पनी की सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई।

राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम (आरबीपी) (Ration Balancing Programme)

राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम, पशु पोषण आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें कि दुग्ध उत्पादक को उपलब्ध चारा स्त्रोतों के संतुलित प्रयोग एवं क्षेत्र विशेष खनिज मिश्रण का उपयोग कर दुधारू पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाने हेतु वैज्ञानिक सलाह दी जाती हैं, जिससे कि दुग्ध उत्पादन की लागत में कमी कर दुग्ध उत्पादक की आय में वृद्धि होती है।

राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम का लक्ष्य तकनीकी सेवाओं के प्रावधानों के साथ चारा खिलाने की वैज्ञानिक विधि को दुग्ध उत्पादकों के घर तक पहुँचाकर पशुओं की उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना है, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में सुधार हो सके एवं दुग्ध उत्पादन की लागत कम कर दुग्ध उत्पादक को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।

कम्पनी एक चरणबद्ध तरीके से 2,700 गाँवों तक राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम की सेवाओं को पहुँचाने के लिए तंत्र का विकास कर रही है। ग्राम स्तर पर राशन बैंलेंसिंग प्रोग्राम की सेवओं को प्रदान करने के लिए ग्रामीण युवकों से अनुबन्ध करार किया जा रहा है जिसे स्थानीय स्त्रोत व्यक्ति (एलआरपी) कहा जाएगा। स्थानीय स्त्रोत व्यक्ति को ईनाफ सॉफ्टवेयर (INAPH Software) एवं इंटरनेट कनेक्शन संस्थापित एक नेटबुक प्रदान किया जायेगा, ताकि वह आरबीपी की सलाह प्राप्त कर कृषकों के घर तक पहुँचा सके। एक स्थानीय स्त्रोत व्यक्ति दो संसक्त गाँवों में राशन नियंत्रण सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रहा है। स्थानीय स्त्रोत व्यक्ति को राशन नियंत्रण की विभिन्न प्रक्रियाओं, ईनाफ सॉफ्टवेयर, कृषकों से संवाद तथा पशु पालन व प्रबंधन के मूल तत्वों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त की सहायता से स्थानीय स्त्रोत व्यक्ति, दुग्ध उत्पादकों को उचित सेवा प्रदान कर रहा है।

चारा विकास (Fodder Development)

राजस्थान में, हरे चारे की उपलब्धता कुछ क्षेत्रों एवं विशेष ऋतु में ही सीमित है। चारागाहों पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण उपलब्ध चारागाह खत्म हो रहे हैं तथा उनका अधिक दोहन हो रहा है। इसके अलावा, तीव्र शहरीकरण के कारण चारागाह सिमटते जा रहे है। इससे भी अधिक, अनाजों, तिलहनों एवं दालों की बढ़ती हुई आवश्यकता व कृषि अवशिष्टों के विविध उपयोगों के लिए भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण चारे की माँग एवं आपूर्ति के मध्य अन्तर बढ़ रहा है।

चारे की आपूर्ति को पूरे वर्ष सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक है कि चारा उत्पादन के अन्तर्गत आने वाली उपलब्ध भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, चारे के उपयोग की क्षमता को बेहतर करने और चारे के नुकसान को कम करने व चारे के संरक्षण को भी बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

अत: कम्पनी ने चारा विकास संबंधी गतिविधियां प्रारंभ की है जैसे: चारा परिरक्षण (साईलेज) पर प्रदर्शन, घास काटने की मशीन संबंधी प्रदर्शन, चारा भण्डारण प्रदर्शन तथा गुणवत्ता युक्त चारा बीजों की आपूर्ति।

साध्य कृत्रिम गर्भाधान प्रजनन हेतु प्रायोगिक प्रतिरूप (Pilot Model for viable Artificial Insemination Delivery) (AI)

कम्पनी ने किसानों के द्वार तक उच्च आनुवांशिकी का उपयोग कर उचित रूप से प्रशिक्षित योग्यता प्राप्त कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों के द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं को अपनाकर गुणवत्ता प्रधान कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को पहुँचाने के उद्देश्य से कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को लागू किया है, ताकि दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाते हुए एवं साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम करके दुग्ध उत्पादक की आय में वृद्धि की जा सके। इस योजना के तहत, कम्पनी द्वारा राजस्थान के पाँच जिलों क्रमश: जयपुर, अजमेर, सीकर, पाली और टोंक में 2,700 से अधिक गाँवों को चयनित करते हुए 450 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन किया जाना है।

कम्पनी युवकों की भर्ती कर उन्हें मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण एसओपी के मापदंड़ों के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करवाती है। कृत्रिम गर्भाधान की सेवा प्रदान करते समय तकनीकी महत्ता के साथ, एसओपी के अनुरूप पशु की पहचान के लिये पशु के कान पर कुडक लगाई जाती है। कृत्रिम गर्भाधान की दिनांक से 21 दिनों बाद पशु की पुन: गर्मी की जाँच की जाती है एवं साथ ही 90 दिनों के बाद गर्भावस्था की जाँच एवं पशु के ब्याने तक की सूचना रखी जाती है। आधारभूत प्रशिक्षण के उपरान्त, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को उचित कार्यक्षेत्र में भेजकर अनुभव प्रदान करवाया जाता है, तथा उसके बाद उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान किये जाते हैं और उन्हें दुग्ध उत्पादक के द्वार तक उत्कृष्ठ गर्भाधान सेवा प्रदान करने हेतु कार्यक्षेत्र में तैनात किया जाता है। प्रजनन सेवा प्रदान करने हेतु कार्य के निरीक्षण एवं कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए, प्रति क्षेत्र में लगभग 20 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों वाले क्षेत्रों में कार्यरत गतिशील कृत्रिम गर्भाधान तकनीकज्ञों को रखा गया है, एक संबंधित परिवीक्षण अधिकारी प्रति क्षेत्र नियुक्त किया गया है। एक प्रजनन विशेषज्ञ 6-7 संबंधित परिवीक्षण अधिकारी को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करवाता है।

पर्यावरण एवं सामाजिक गतिविधियाँ (Environment & Social Activities)

कम्पनी ने पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन संरचना के दिशा-निर्देशों से नेशनल डेयरी प्लान-फेज प्रथम के अन्तर्गत प्रस्तावित गतिविधियों से सम्बन्धित पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों की पहचान की है। गाँवों एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सभाओं के दौरान, महिलाओं एवं नोजवानों को दुग्ध-उद्योग में शामिल करने की महत्ता पर जोर दिया जाता है तथा सदस्यों के साथ उस

विशिष्ट गाँव में दुग्ध–उद्योग से संबन्धित विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा की जाती है। दुग्ध–उद्योग में महिला सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए कम्पनी ने महिला सदस्यों के लिए भर्ती शुल्क को 50 प्रतिशत तक घटा दिया है।

कम्पनी ने अपने सभी कार्यक्रमों में लिंग भेद संवेदीकरण की पहल की है। महिला सशक्तिकरण एक भिन्न विषय है, जिसके बारे में सहायकों को विशेष तौर पर उनके अनुस्थापन कार्यक्रमों में बतलाया जाता है। हाल में ही एक सलाहकारी संस्था के सहयोगियों के एक बैच, जिन्हें कृषकों/सदस्यों को उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम में प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया था, को दुग्ध–उद्योग में महिलाओं की भूमिका के बारे में प्रशिक्षित किया गया तथा उनके सहयोग से यह संदेश कम्पनी की सभी महिला सदस्यों तक पहुँचेगा जिससे उनमें जागरूकता आएगी। प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक महिला एलआरपी, तकनीकी अधिकारियों, मेट एवं पशु कार्यकारियों को भर्ती किया जाए। आने वाले समय में, हम राजस्थान की महिला उद्यमियों की जीवनियों को तैयार करने तथा इन्हें योजनागत विभिन्न महिला जागरूकता कार्यक्रमों में दिखाने की योजना बना रहे हैं।

गुणवत्ता का आश्वासन (Quality Assurance)

कम्पनी के विकास में गुणवत्ता ने अहम भूमिका निभाई है। हमारे दुग्ध अवशीतन केन्द्र (एमसीसी) मूलभूत जाँच सुविधाओं से सुसज्जित हैं। दुग्ध अवशीतन केन्द्रों पर प्रयोगशाला की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कम्पनी और अधिक जाँच उपकरणों जैसे कि डिजीटल विद्युतीय काँटे, जल–निकासी रैक, वातशोषक बोतल आदि को उपलब्ध करवा रही है। कम्पनी ने निरन्तर रूप से कच्चे दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की है। कम्पनी ने दुग्ध गुणवत्ता में सुधार लाने एवं उसे बनाये रखने के लिए कम्पनी में कार्यरत प्रयोगशाला रसायनज्ञों एवं एमसीसी प्रभारी के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दुग्ध जाँच विधियों, एफएसएसएआई के नियमों, स्वच्छता, सुरक्षा, अच्छी निर्माण कार्यकुशलता, व स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, स्थान की सफाई तथा दुग्ध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रयोगशाला कार्यशैली के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कम्पनी को भविष्य में अच्छी गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद लाने का पूरा भरोसा है।

सदस्यों के बैंक खाते (Member's Bank Accounts)

कम्पनी सभी कार्य/संचालन स्तरों पर पारदर्शिता लाकर, अपने सदस्यों का सशक्तिकरण करने में पूर्ण रूप से विश्वास रखती है। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, कम्पनी का प्रयास है कि वह अपने सदस्यों को भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करें। समीक्षा अवधि के दौरान लगभग 7,800 सदस्यों के बैंक खाते खुलवाये गये। कम्पनी प्रत्येक सदस्य का बैंक खाता खुलवाने का प्रयास निरन्तर करती रहेगी। सदस्यों से निवेदन है कि जिनके पास अपने व्यक्तिगत बैंक खाते नही हैं, वे जल्दी से जल्दी अपने व्यक्तिगत बैंक खाते खुलवालें और अपने हित में उसकी सूचना कम्पनी को दें, जिससे कम्पनी के साथ उनके लेन–देन में सुरक्षा, गति एवं सुविधा सुनिश्चित होगी। इससे सदस्यों को अपने धन को बचाकर व अपनी आय को सुरक्षित रखने की आदत पड़ेगी तथा इसके फलस्वरूप उन्हें पर्याप्त बैंक सुविधाओं जैसे कि विभिन्न ऋण (लोन) व निवेश योजनाओं को प्राप्त करने का लाभ प्राप्त होगा।

6. निदेशक (Directors)

डॉ. एन. वी. बेलावाडी जोकि एक विशेषज्ञ निदेशक हैं ने दिनांक 27 जून, 2014 को अपना त्याग–पत्र दे दिया हैं। बोर्ड ने डॉ. एन. वी. बेलावाडी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कम्पनी की एक उत्पादक कम्पनी के रूप में स्थापना में दिये गये अमूल्य सहयोग, सलाह एवं मार्गदर्शन की सराहना की हैं।

श्री अजीत सिंह परमार, जोकि एक विशेषज्ञ निदेशक हैं ने दिनांक 15 जुलाई, 2014 को अपना त्याग पत्र दे दिया है। बोर्ड ने उनके द्वारा कम्पनी को प्रदान की गई सेवाओं की सराहना की हैं।

श्री प्रहलाद, जोकि एक निदेशक हैं ने दिनांक 23 जुलाई, 2014 को अपना त्याग पत्र दे दिया है। बोर्ड उनको प्रथम निदेशक के रूप में कम्पनी के आरंभ से दिये गये सहयोग हेतु धन्यवाद देता हैं।

श्री श्रीराम सिंह, प्रेक्टिस हेड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, एन डी डी बी डेयरी सर्विसेज, को दिनांक 27, जून, 2014 से कम्पनी के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया हैं।

कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.7 (i) के आधार पर कम्पनी सदस्यों श्रीमती कौशल यादव, श्री भंवर लाल जाट एवं श्री डूंगर सिंह राठौड़ को क्रमश: दिनांक 31 मार्च, 2014, 15 मई, 2014 तथा 5 अगस्त 2014 से अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया हैं। ये आगामी तृतीय वार्षिक आमसभा तक पदासीन रहेंगे एवं योग्य होने के कारण पुन: नियुक्त हो सकते हैं जोकि चक्रिय क्रम से सेवानिवृत होंगें, जिस पर अंशधारकों द्वारा अनुमोदन किया जा सकता है,

बोर्ड निदेशकों की संरचना एवं निदेशकों की पुन: नियुक्ति:

कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.4 में सदस्यों के संरक्षक एवं बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर विभिन्न वर्गों में जहां तक संभव हो सके संबंधित श्रेणी के सदस्यों के संरक्षक के आधार पर वर्गीकृत करने हेतु मानदण्ड प्रदान किये गये हैं। तीन विभिन्न वर्गो श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–सी में संरक्षक के आधार पर सदस्यों को वर्गीकृत करने के मानदण्डों को कम्पनी की प्रथम वार्षिक आम–सभा में अनुमोदित किया गया था।

आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में संरक्षक के मानदण्ड पूरे करने अथवा नही करने पर यह पाया गया कि कुल सदस्यों में से 68 प्रतिशत सदस्यों ने ही अपनी श्रेणी के आधार पर 31 मार्च 2014 को दिये गये संरक्षक के मानदण्डों को पूरा किया हैं। इसी प्रकार इन 68 प्रतिशत सदस्यों में से क्रमश: 11 प्रतिशत श्रेणी–ए, 19 प्रतिशत श्रेणी–बी तथा 70 प्रतिशत श्रेणी–सी के हैं। जबकि उक्त श्रेणी ए, बी एवं सी के मध्य उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दुग्ध की मात्रा का अनुपातिक प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान क्रमश: 39%, 18% एवं 43% था। इसी प्रकार बोर्ड की संरचना में सभी वर्गो को संरक्षक के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए निदेशकों की संख्या क्रमश: श्रेणी–ए में 4, श्रेणी–बी में 2 तथा श्रेणी–सी में 5 निदेशक होती हैं। वर्तमान बोर्ड उपरोक्त वर्णित अनुच्छेद 9.4 की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं।

कम्पनी अंतर्नियमों के अनुच्छेद 9.6 के आधार पर श्री भगवान सहाय एवं श्री बलदेव राम बेरवाल कम्पनी निदेशक (क्रमश: श्रेणी–ए तथा श्रेणी–बी का प्रतिनिधित्व करते हैं) कम्पनी की भावी वार्षिक आमसभा में सेवानिवृत हो रहे हैं तथा योग्य होने के कारण पुन:नियुक्त हो सकते हैं। पुन: नियुक्त हो रहे दोनों निदेशकों का नाम एवं योग्यता संबंधी विवरण होने वाली तृतीय वार्षिक आम सभा के नोटिस के साथ संलग्न हैं। बोर्ड उनकी पुन:–नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

7. सदस्यता/वोटे देने का अधिकार/अंश पूंजी

31 मार्च, 2014 को प्रदत्त अंश पूंजी रु. 9.18 करोड है, जबकि कम्पनी के सदस्य रजिस्टर में 37824 सदस्य दर्शाये गये हैं। इस समीक्षा अवधि के दौरान 9640 सदस्यों की सदस्यता, सदस्यता मानदण्ड पूरे नही करने के कारण रद्द/समर्पित कर दी गई हैं।

जैसा कि बताया गया है कि 31 मार्च, 2014 के बाद नई सदस्यता आवंटित करने से सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण इस रिपोर्ट की तिथि को सदस्यों की कुल संख्या 53372 है, जबकि कुल प्रदत्त अंश पूंजी रू. 9.89 करोड हैं।

सदस्यता निरस्त होने से बचने के लिए सभी सदस्यों जोकि श्रेणी–ए, श्रेणी–बी तथा श्रेणी–सी के हैं से निवेदन हैं कि वे सभी अपनी सदस्यता को सूचारू रूप से बनाये रखने के लिये, अपनी श्रेणी के संरक्षक मानदंड़ों की शर्तो को संबंधित वित्तीय वर्ष में आवश्यक रूप से पूरा करें है।

वोट देने का अधिकार एवं वार्षिक आमसभा में उपस्थिति :

कुल 37824 सदस्यों में से मात्र 22631 सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार है तथा पिछले वित्तीय वर्ष 2013–14 में न्यूनतम 200 दिन में कम से कम 500 लीटर दुग्ध की आपूर्ति नही करने के कारण शेष 15193 सदस्यों ने तृतीय वार्षिक आमसभा में अपना वोट देने का अधिकार खो दिया हैं।

नये सदस्य जिन्हें 31 मार्च, 2014 के बाद कम्पनी में शामिल किया गया हैं, वे वित्तीय वर्ष 2013–14 के लाभांश एवं तत्पश्चात् होने वाली वार्षिक आमसभा में वोट डालने के लिए पात्र नही होंगे।

8. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण (Directors Responsibility Statement)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2AA) के अनुसार, कम्पनी का निदेशक मंडल इसके सदस्यों को सूचित करता है कि:–

a) वित्तीय वर्ष के लेखें तैयार करते समय लागू होने वाले लेखांकन मानकों का उचित व्याख्या सहित अनुपालन किया गया है।

b) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान किये है जो कि इतने तर्कसंगत और उपयुक्त है कि वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के कारोबार की स्थिति तथा इस अवधि के दौरान कम्पनी के लाभ का सही और उचित दृश्य प्रस्तुत कर सकें।

c) कम्पनी की संपत्तियों की सुरक्षा के साथ छल–कपट/धोखेबाजी को रोकने तथा बचाव हेतु इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने सही लेखें तैयार करने तथा उनके रख–रखाव के लिए आवश्यक उचित एवं पर्याप्त सावधानी रखी है।

d) निदेशकों ने वार्षिक लेखे प्रगतिशील प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये हैं।

9. आंतरिक नियंत्रण पद्धति (Internal Control System)

कम्पनी में संपत्तियों की सुरक्षा के लिये तथा सभी प्रकार के व्यवहारों को अधिकृत करने, दर्ज करने तथा सही सूचना देने के लिये सही तथा उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 ZF की अनुपालना में अरनेस्ट एंड यंग एलएलपी चार्टर्ड एकाउन्टेंटस् स्वतंत्र रूप से कम्पनी का आंतरिक अंकेक्षक नियुक्त किया है जोकि स्वतंत्र रूप से कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण पद्धति की औचित्यता की समीक्षा करने के साथ–साथ नियमित रूप से कम्पनी के खातों एवं व्यवहारों का अंकेक्षण करते रहते है।

10. अंकेक्षक (Auditors)

मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकांउटेंट्स, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल आगामी वार्षिक आम सभा को समाप्त हो रहा है तथा योग्य होने के कारण उनकी पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। कम्पनी को अंकेक्षकों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुका है कि अगर उनकी पुन:नियुक्ति होती है तो वह कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (1बी) के प्रावधानों के अनुसार होगा।

आपके निदेशक मैसर्स एस. बी. बिल्लीमोरिया एण्ड कम्पनी को वैधानिक अंकेक्षक के रूप में आगामी वार्षिक आम सभा में नियुक्ति की अनुशंसा करते हैं।

11. लागत अनुपालना रिपोर्ट (Cost Compliance Report)

कम्पनी नियम, 2011 (लागत लेखांकन रिपोर्ट) की आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2013–14 पर लागू होने वाली लागत अनुपालना रिपोर्ट निर्धारित वैधानिक समय सीमा में संलग्न कर केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी हैं।

12. कर्मचारियों का विवरण (Particulars of Employees)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2A) को कम्पनी नियम, 1975 के साथ पढा जाये के अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी ने किसी भी स्थिति में पारिश्रमिक/प्रतिफल के रूप में कुल मिलाकर रू. 60 लाख वार्षिक अथवा रू. 5 लाख प्रतिमाह से अधिक राशि प्राप्त नही की है।

13. ऊर्जा संरक्षण, शोध एवं विकास, तकनीकी समावेश, विदेशी विनिमय आय तथा निकासी :- (Conservation of Energy, Research & Development, Technology Absorption, Foreign Exchange Earning & Outgo)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1)(ई) के अनुसार आवश्यक विवरण देने के संबंध में इसे (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) कम्पनी नियम, 1988 के साथ पढा जाये।

कम्पनी नियमों के भाग ए तथा बी ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेश के संबंध में कम्पनी पर लागू नही होते है।

विदेशी विनिमय आय तथा निकासी : आय : शून्य, निकासी : शून्य

14. आभार (Acknowledgement)

निदेशक मंडल, कम्पनी के सदस्यों, व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति इस अवधि के दौरान उनके सहयोग तथा योगदान की प्रशंसा करते है, एवं साथ ही बैंकों, कर्मचारियों तथा आंतरिक एवं वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कम्पनी को प्रदान किये गये नियमित सहयोग के लिये धन्यवाद देते है।

निदेशक मंडल, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज तथा मदर डेयरी फ्रूट एण्ड वेजीटेबल प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते है।

वास्ते निदेशक मंडल
ह./-
(लाल चंद चौधरी)
अध्यक्ष एवं निदेशक

स्थान : जयपुर

दिनांक : 5 अगस्त, 2014

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

सदस्यों के लिये स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन (Auditors' Report)

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च, 2014 को कम्पनी का आर्थिक चिट्ठा (बैलेन्स शीट) , लाभ–हानि तथा रोकड़ प्रवाह दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिये पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों, संक्षिप्त महत्वपूर्ण अकांउटिंग नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का अंकेक्षण किया है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में प्रबन्धन का दायित्व

कम्पनी अधिनियम, 1956 (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का जनरल पत्र 15/2013 दिनांक 13.09.2013 लागू हो रहे हैं) में वर्णित लेखा मानकों (अकांउटिंग स्टैण्डर्ड) तथा आमतौर पर भारत में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कम्पनी के प्रबन्धकों का दायित्व कम्पनी के वे सभी वित्तीय विवरण तैयार करना है जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादकता (परफोरमेंस) तथा कम्पनी के रोकड़ प्रवाह की सही जानकारी प्रदान करते हों। इसमें वे सभी दायित्व सम्मिलित हैं जो वित्तीय विवरण तैयार करने तथा उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा बनाये रखना है जिससे कम्पनी के वित्तीय लेखे कम्पनी की सही जानकारी प्रदान करें तथा जो धोखेबाजी या त्रुटिपूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हों।

अंकक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व इन वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण के आधार पर अपनी राय प्रकट करना है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांउटेंटस ऑफ इण्डिया द्वारा अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुसार अंकेक्षण किया है। इन मानकों के लिये आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हुए अंकेक्षण की योजना तथा उसका निष्पादन इस प्रकार करें जिससे इस बात के लिए आश्वस्त किया जा सके कि वित्तीय लेखे सभी प्रकार के गलत तथ्यात्मक कथनों से मुक्त हैं।

अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकाशित तथ्यों के अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। अंकेक्षण के लिए चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के स्व–विवेक एवं निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कपटपूर्ण या गलती से दिये गये गलत तथ्यात्मक कथनों से संबंधित जोखिम की मात्रा का अनुमान लगाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों के लिए आवश्यक अंकेक्षण प्रक्रिया तैयार करने हेतु अंकेक्षक इस प्रकार की जोखिम का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के उन सभी आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है जो कम्पनी के वित्तीय लेखे तैयार कर उसके उचित प्रस्तुतीकरण करने में आवश्यक है। परन्तु कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अपने विचार प्रकट करने का उद्देश्य नहीं है। साथ ही अंकेक्षण का उद्देश्य लेखांकन के लिये प्रयोग की जा रही नीतियों की औचित्यता तथा प्रबन्धन के लेखांकन अनुमानों की तार्किकता के साथ–साथ लेखों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य अंकेक्षण पर राय प्रकट करने के लिए एक आधार के रूप में पर्याप्त एवं उचित हैं।

राय (Opinion)

हमारी राय में एवं हमें प्राप्त जानकारी तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वर्णित वित्तीय विवरण, आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, अधिनियम के अन्तर्गत सत्य एवं निष्पक्ष सूचनायें देते हैं।

(अ) 31 मार्च, 2014 को कम्पनी के क्रियाकलापों की स्थिति के लिये चिट्ठा।

(ब) लाभ–हानि के विवरण हेतु समापन तिथि को कम्पनी का लाभ–हानि खाता।

(स) रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु समापन तिथि को कम्पनी का रोकड़ प्रवाह।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट)

1. अधिनियम की धारा 227 (4A) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी कम्पनीज़ (अंकेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'') के अन्तर्गत, हमने आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में वर्णित तथ्यों पर विवरण अनुलग्नक 1 में दिया है।
2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581ZG में वर्णित तथ्यों पर हमनें विवरण अनुलग्नक 2 में दिया है।
3. अधिनियम की धारा 227(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:–

   (अ) हमने वे सभी सूचनायें तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी में अंकेक्षण के उद्देश्य से आवश्यक थे।

   (ब) हमारी राय में कम्पनी ने वैधानिक रूप से आवश्यक सभी लेखे उचित तरीके से बना रखे हैं जोकि हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों के किये गये परीक्षण से प्रकट होता है।

   (स) इस रिपोर्ट में वर्णित कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह कम्पनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप है।

   (द) हमारी राय में कम्पनी का चिट्ठा, लाभ–हानि खाता तथा रोकड़ प्रवाह अधिनियम के तहत (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का जनरल पत्र 15/2013 दिनांक 13.09.2013 लागू हो रहे हैं) वर्णित लेखा मानकों के अनुरूप है।

   (य) कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2014 को रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 274 (1)(g) के अनुसार निदेशक नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

जयपुर, 27 जून 2014

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक-1

हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट ''अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं'' के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट

कम्पनी के व्यवसाय तथा क्रियाओं की प्रकृति एवं इस अवधि के दौरान कम्पनी के परिणामों की प्रकृति को देखते हुए आदेश के पैराग्राफ 4 के उपनियम (x) तथा (xiii) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(i) कम्पनी की अचल संपत्तियों के संबंध में :-

अ. कम्पनी ने अचल संपत्तियों का विवरण, मात्रा तथा उनकी स्थितियों को दर्शाने के लिये उचित रिकॉर्ड बना रखे हैं।

ब. वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबन्धन के द्वारा अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन एक नियमित सत्यापन कार्यक्रम के तहत किया गया है, जिसमें संपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु दिया गया अंतराल हमारी राय में सही है। हमें प्रदान की गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

स. इस दौरान कम्पनी ने किसी भी अचल संपत्ति का निस्तारण नहीं किया है। अत: आदेशक के उपनियम 4(i)(c) कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(ii) कम्पनी के स्टॉक के संबंध में :-

अ. हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार इस वर्ष के दौरान कम्पनी प्रबंधन द्वारा स्टॉक का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन किया गया है।

ब. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में प्रबंधन द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया कम्पनी के आकार तथा उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार उचित एवं सही है।

स. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा स्टॉक का उचित रिकॉर्ड रखा गया है तथा भौतिक सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अनुसार कम्पनी ने किसी भी कंपनियों, फर्मों या रजिस्टर में दर्ज किसी भी पक्षकार अथवा पक्षकारों से किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण दिया या लिया नहीं है।

(iv) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए खरीदे गये कुछ सामान विशेष प्रकृति के हैं तथा इनके उपयुक्त विकल्प तुलनात्मक कोटेशन प्राप्त करने के लिए सरलता से उपलब्ध नहीं हैं। कम्पनी के आकार तथा इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार माल व अचल संपत्तियां क्रय करने तथा माल के विक्रय हेतु उचित आंतरिक नियंत्रण पद्धति विद्यमान है। वर्ष के दौरान कम्पनी का संचालन सेवाओं की किसी भी

बिक्री को उत्पन्न नहीं होने देता है। अंकेक्षण के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया में हमें कोई महत्वपूर्ण कमी नज़र नहीं आई।

(v) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कोई भी अनुबंध एवं व्यवस्था नहीं है जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 की पालना में, रजिस्टर में प्रविष्ट करना जरूरी हो।

(vi) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक जमायें स्वीकार नहीं की हैं, इसलिये आदेश के उपनियम 4 (vi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(vii) हमारी राय में कम्पनी के प्रबंधन द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकांउटेंट्स फर्म द्वारा वर्ष के दौरान किए गये आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कम्पनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है।

(viii) हमने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1)(d) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये कम्पनीज (लागत लेखा रिकार्ड) नियम, 2011 के अनुसार बनाये गये लागत रिकार्ड की विस्तृत समीक्षा की है और हमारे विचार में, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकार्ड रखे गये हैं। लेकिन हमने इन लागत रिकार्डो की इस दृष्टि से जाँच नहीं की है, की ये सही और पूर्ण हैं।

(ix) वैधानिक देय के संबंध में हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार :-

अ. कम्पनी नियमित रूप से निर्विवादतौर पर देय वैधानिक दायित्वों की राशियों जैसे भविष्य-निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, सेवाकर तथा अन्य कोई भी कम्पनी पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण वैधानिक दायित्वों आदि का उपयुक्त अधिकरण को नियमित भुगतान करती रही है। हमें सूचित किया गया है कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष के दौरान किये गये कार्यो के कारण किसी भी प्रकार का कोई निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं धन कर जैसा कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ है।

ब. 31 मार्च, 2014 को ऐसी कोई भी निर्विवाद राशि देय नहीं है, जैसे भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, धनकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण वैधानिक देय, जिसको 6 माह हो गये हों।

स. आयकर, विक्रय कर, धनकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेस की ऐसी कोई भी राशि 31 मार्च, 2014 को देय नहीं है जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया हो।

(x) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने बैंकों को बकाया की वापसी अदायगी में कोई चूक नहीं की है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों से किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है एवं ना ही कोई ऋण-पत्र (डिबेंचर) जारी किये हैं।

(xi) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अंशों, ऋण-पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रख कोई ऋण या अग्रिम नही दिया है।

(xii) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अंशों, प्रतिभूतियों और डिबेंचरों में व्यवसाय अथवा व्यापार नहीं कर रही है। अत: आदेश के उपनियम 4 (xiv) कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

(xiii) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अन्य के द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण की कोई गारंटी नहीं दी है।

(xiv) हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने जिस उद्देश्य के लिये सावधि ऋण लिया था, उसका उपयोग कम्पनी ने उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया, जिसमें अस्थाई परिनियोजन लंबित आवेदन शामिल नहीं हैं।

(xv) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार एवं चिट्ठे का मूल्यांकन करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा इस वर्ष में प्रथम दृष्ट्या, अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश हेतु उपयोग नहीं किया गया है।

(xvi) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत कम्पनी ने रजिस्टर में दर्ज किये गये किसी भी पक्षकारों या कंपनियों को अंशों का प्राथमिक आवंटन नहीं किया है।

(xvii) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऋण–पत्र जारी नहीं किए हैं।

(xviii) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई सार्वजनिक निर्गम से पूंजी नहीं जुटाई है।

(xix) हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण एवं हमारी जानकारी के अनुसार कम्पनी के द्वारा या कम्पनी पर किसी भी प्रकार का कोई धोखेबाजी का आरोप इस दौरान नहीं देखा गया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

जयपुर, 27 जून, 2014

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (रिपोर्ट) का अनुलग्नक–2

हमारी समतिथि की अंकेक्षण रिपोर्ट अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट

1. विक्रय किए गये माल एवं सेवाओं से प्राप्त बकाया लेनदारियों की राशि का प्रकटीकरण वित्तीय आंकड़ों की नोट संख्या 16 में है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कोई भी बकाया लेनदारियाँ पुन: प्राप्ति हेतु संदिग्ध नहीं है।

2. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में हस्तगत रोकड़ का भौतिक सत्यापन किया है तथा इस तरह के सत्यापन पर किसी भी प्रकार की कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई है। हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के पास किसी भी प्रकार की निवेशिय प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।

3. 31 मार्च, 2014 को सम्पत्तियाँ एवं दायित्वों का विवरण 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय आंकड़ों के अनुसार है।

4. हमारी राय में एवं हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कोई ऐसा लेन–देन नहीं किया है जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के प्रावधान के विरुद्ध हो।

5. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।

6. हमें प्रदान की गई सूचनाओं तथा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का कोई दान एवं प्रमाणीकरण नहीं किया है।

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकांउटेंट्स
(पंजीयन संख्या : 101496W)
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर
(सदस्यता संख्या : 87104)

जयपुर, 27 जून, 2014

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को आर्थिक चिट्‌ठा

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
क.	**शेयर एवं दायित्व**			
	1. अंशधारकों का कोष			
	(अ) अंश पूंजी	3	918,26,300	422,97,800
	(ब) संचित एवं अधिशेष	4	78,04,643	9,91,424
			996,30,943	**432,89,224**
	2. स्थगित अनुदान (Deferred Grant)	5	560,87,413	–
	3. गैर–चालू दायित्व			
	(अ) दीर्घकालीन ऋण	6	629,60,000	–
	(ब) दीर्घकालीन प्रावधान	7	–	1,55,953
	(स) स्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	8	21,21,190	7,14,167
			650,81,190	**8,70,120**
	4. चालू दायित्व			
	(अ) अल्पकालीन ऋण	9	555,84,193	–
	(ब) व्यापारिक देनदारियां	10	688,19,157	238,89,929
	(स) अन्य चालू दायित्व	11	1731,06,585	1416,12,369
	(द) अल्पकालीन प्रावधान	12	133,80,495	17,32,835
			3108,90,430	**1672,35,133**
	योग		**5316,89,976**	**2113,94,477**
ख.	**संपत्तियां**			
	1. गैर चालू संपत्तियां			
	(अ) स्थायी संपत्तियां			
	(i) मूर्त संपत्तियां	13अ	1249,28,945	1120,07,987
	(ii) अमूर्त संपत्तियां	13ब	68,301	86,301
	(iii) प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य	13स	711,26,511	–
			1961,23,757	**1120,94,288**
	(ब) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम	14	10,70,648	11,49,968
			1971,94,405	**1132,44,256**
	2. चालू संपत्तियां			
	(अ) स्टॉक	15	343,16,899	224,13,504
	(ब) व्यापारिक लेनदारियाँ	16	394,24,810	35,37,298
	(स) रोकड एवं बैक शेष	17	2506,54,853	577,43,600
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	18	51,16,369	133,62,565
	(य) अन्य चालू संपत्तियां	19	49,82,640	10,93,254
			3344,95,571	**981,50,221**
	योग		**5316,89,976**	**2113,94,477**

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के संदर्भ में

वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

ह./–

जितेन्द्र अग्रवाल

पार्टनर

स्थान : जयपुर

दिनांक : 27 जून, 2014

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–	ह./–	ह./–
लाल चंद चौधरी	**अनिल कुमार**	**अनिल कुमार माथुर**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./–	ह./–
अनूप गुप्ता	**पी. एन. वर्मा**
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : जयपुर

दिनांक : 27 जून, 2014

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि खाते का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	नोट संख्या	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए
1.	व्यवसायिक गतिविधियों से आय	20	44336,48,428	16109,16,419
2.	अन्य आय	21	99,45,545	48,97,113
3.	**कुल आय (1+2)**		**44435,93,973**	**16158,13,532**
4.	**व्यय**			
	(अ) खपत की गई सामग्रीयों की लागत	22	568,11,402	–
	(ब) व्यावसायिक वस्तुओं का क्रय	23	39734,40,639	14803,40,696
	(स) तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन	24	(99,36,164)	(221,65,182)
	(द) कर्मचारियों संबंधी व्यय	25	474,20,927	171,18,729
	(य) वित्त लागत	26	12,42,305	–
	(र) मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	13द	128,91,410	37,53,891
	(ल) अन्य व्यय	27	3351,01,752	1328,24,089
	कुल व्यय		**44169,72,271**	**16118,72,223**
5.	**कर पूर्व लाभ**		266,21,702	39,41,309
6.	**कर संबंधी व्यय**			
	(अ) चालू कर		76,58,242	7,51,017
	(ब) न्यूनतम वैकल्पिक कर शेष		–	(2,47,320)
	(स) स्थगित कर (Deferred Tax)		14,07,023	7,14,167
	शुद्ध कर व्यय		**90,65,265**	**12,17,864**
7.	**कर के पश्चात लाभ (5–6)**		**175,56,437**	**27,23,445**
8.	**प्रति समता अंश पर आय:**	31		
	(न्यूनतम मूल्य रु.100/– प्रति शेयर)			
	(अ) मूल		38.44	6.44
	(ब) डायल्यूटेड		38.44	6.44

देखें, संलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./–
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–
लाल चंद चौधरी
निदेशक

ह./–
अनिल कुमार
निदेशक

ह./–
अनिल कुमार माथुर
निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./–
अनूप गुप्ता
कम्पनी सचिव

ह./–
पी. एन. वर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

स्थान : जयपुर
दिनांक : 27 जून, 2014

स्थान : जयपुर
दिनांक : 27 जून, 2014

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष का रोकड प्रवाह

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए
अ.	**व्यावसायिक गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :**		
	कर से पूर्व लाभ	266,21,702	39,41,309
	समायोजन :		
	वित्त लागत	10,13,336	
	ब्याज से आय	(80,27,122)	(12,35,520)
	कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान	(1,56,767)	1,56,767
	मूल्य ह्रास एवं क्षति संबंधी व्यय	128,91,410	37,53,891
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व व्यावसायिक लाभ/(हानि)	**323,42,559**	**66,16,447**
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन हेतु समायोजन		
	स्टॉक में कमी/(वृद्धि)	(119,03,395)	(224,13,504)
	व्यापारीयों लेनदारियों में कमी/(वृद्धि)	(358,87,512)	(35,37,298)
	दीर्घकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	(1,68,000)	(30,000)
	अल्पकालीन ऋणों एवं अग्रिमों में कमी/(वृद्धि)	82,46,196	(133,62,565)
	व्यापारिक देनदारियों में (कमी)/वृद्धि	449,29,229	238,89,929
	अन्य चालू दायित्वों में (कमी)/वृद्धि	1022,40,839	258,65,745
	व्यवसाय से उत्पन्न रोकड़	**1397,99,916**	**170,28,754**
	शुद्ध आय पर (भुगतान) / वापसी	(47,73,645)	(16,23,665)
	व्यवसायिक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह/(कमी) (अ)	**1350,26,271**	**154,05,089**
ब.	**निवेशकीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :**		
	बैंक शेष में कमी/(वृद्धि) जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	(980,95,424)	(550,00,000)
	अचल संपत्तियों पर पूंजीगत व्यय	(1115,80,090)	(1,01,555)
	प्राप्त ब्याज	41,37,736	1,42,266
	निवेशकीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड प्रवाह/(कमी) (ब)	**(2055,37,778)**	**(549,59,289)**
स.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह :**		
	समता अंश जारी करने से प्राप्तियां	495,28,500	422,97,800
	दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्तियाँ	629,60,000	-
	कार्यशील पूंजी के ऋणों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	555,84,193	-
	भुगतान किया गया लाभांश (लाभांश पर कर सहित)	(17,32,021)	-
	वित्त लागत का भुगतान	(10,13,336)	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड प्रवाह/(कमी) (स)	**1653,27,336**	**422,97,800**
	रोकड तथा रोकड तुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+ब+स)	**948,15,829**	**27,43,600**
	वर्ष के प्रारम्भ में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	27,43,600	-
	वर्ष के समापन पर रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य	**975,59,429**	**27,43,600**
	निम्न में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्यों के तत्व :		
	हस्तगत रोकड़ एवं चैक शेष	-	-
	बैंकों में शेष:		
	चालू खातों में	975,59,429	27,43,600
	जमा खातों में	-	-
	रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह के अनुसार	975,59,429	27,43,600
	जोड़िये : बैंक शेष जोकि रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य नहीं माने गये है	1530,95,424	550,00,000
	चिट्ठे के अनुसार रोकड एवं बैंक शेष (नोट 17)	**2506,54,853**	**577,43,600**

देखें, सलग्न नोट्स, जोकि वित्तीय विवरण का हिस्सा है

हमारे संलग्न प्रतिवेदन के संदर्भ में
वास्ते एस. बी. बिल्लीमोरिया एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ह./-
जितेन्द्र अग्रवाल
पार्टनर

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-
लाल चंद चौधरी	**अनिल कुमार**	**अनिल कुमार माथुर**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी
ह./-	ह./-	
अनूप गुप्ता	**पी. एन. वर्मा**	
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)	

स्थान : जयपुर
दिनांक : 27 जून, 2014

स्थान : जयपुर
दिनांक : 27 जून, 2014

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति अंशों की संख्या	31 मार्च 2014 को स्थिति राशि (₹ में)	31 मार्च 2013 को स्थिति अंशों की संख्या	31 मार्च 2013 को स्थिति राशि (₹ में)
3.	अंश पूंजी				
	(अ) अधिकृत अंश पूंजी प्रति समता अंश राशि रु. 100/-	20,00,000	2000,00,000	20,00,000	2000,00,000
	(ब) जारी की गई, सदस्यों द्वारा ली गई तथा पूर्ण प्रदत्त अंश पूंजी प्रति समता अंश राशि रुपये 100/-	**9,18,263**	**918,26,300**	**4,22,978**	**422,97,800**

नीचे दिये गये नोट संख्या (i) से (iii) देखें :-

नोट्स :-

(i) अंशों से संबद्ध अधिकार, वरीयता तथा प्रतिबंध

कम्पनी ने प्रथम श्रेणी के रु. 100/- अंकित मूल्य वाले समता अंश जारी किये हैं। प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है। कम्पनी के अर्न्तनियमों के अनुसार प्रत्येक सदस्य सीमित प्रतिफल (लाभांश) तथा बोनस का अधिकारी है।

(ii) वर्ष के प्रारम्भ तथा समापन पर समता अंशों की संख्याओं तथा अदत्त राशियों का मिलान :

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंशों की संख्या	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राशि (₹ में)	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए अंशों की संख्या	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए राशि (₹ में)
	अवधि/वर्ष के आरंभ में अदत्त अंश	4,22,978	422,97,800		
	अवधि/वर्ष के दौरान जारी किये गये अंश	4,95,285	495,28,500	4,22,978	422,97,800
	अवधि/वर्ष के समापन पर अदत्त अंश	**9,18,263**	**918,26,300**	**4,22,978**	**422,97,800**

(iii) कम्पनी का पंजीयन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत एक उत्पादक कम्पनी के रूप में हुआ है तथा कम्पनी के किसी भी सदस्य के पास कम्पनी की अंश पूंजी के 5 प्रतिशत या इससे अधिक की अंश पूंजी नही है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
4.	**संचित एवं अधिशेष**		
	(अ) सामान्य संचय		
	लाभ एवं हानि के अधिशेष से अंतरित	78,04,643	–
	(ब) लाभ–हानि विवरण में अधिशेष		
	प्रारम्भिक शेष	9,91,424	–
	जोड़िये : वर्ष/अवधि का लाभ	175,56,437	27,23,445
	घटाईये : सदस्यों को प्रस्तावित सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) (रू.10/– प्रति समता अंश)	91,82,630	14,80,423
	प्रस्तावित सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर	15,60,588	2,51,598
	सामान्य संचय में अंतरित	78,04,643	–
	अन्तिम शेष	–	9,91,424
		78,04,643	**9,91,424**
5.	**स्थगित अनुदान(Deferred Grant)**		
	वर्ष के दौरान पूंजीगत अनुदान का उपयोग (नोट 33 को देखें)	561,00,951	–
	घटाईये : अनुदानों से खरीदी गई संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	13,538	–
	अन्तिम शेष	**560,87,413**	**–**
6.	**दीर्घकालीन ऋण**		
	सुरक्षित		
	(अ) नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड (NDDB) से सावधि ऋण	629,60,000	–
		629,60,000	–

नोट्स :

(i) सुरक्षित ऋण के लिये दी गई प्रतिभूति का विवरण निम्न प्रकार है:–

कम्पनी के सावधि ऋण को कम्पनी की चल सम्पत्तियों, वर्तमान तथा भविष्य, पर प्रथम प्रभार से सुरक्षित किया गया है जिसमें दृष्टिबन्धक बही ऋण, कच्चे माल का स्टॉक, अर्ध तैयार माल एवं तैयार माल, उपभोगीय सामग्री एवं अन्य बही ऋण, ऐसी अन्य सम्पत्तियाँ जो की व्यापार की सामान्य कार्यवाही के लिए कार्यशील पूँजी के सम्बंध में बैंकरों के पक्ष में प्रथम प्रभार में रखी गई है, शामिल नहीं है।

(ii) दीर्घकालीन ऋणों के वापसी अदायगी की शर्तें निम्न प्रकार है:–

ऋण पर 9% वार्षिक ब्याज देय है और यह 7 वर्ष के दौरान 60 समान मासिक किस्तों में देय है जिसमें मूल के पुर्नभुगतान के लिए 2 वर्षों की मॉरटोरिअम की अवधि है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
7.	**दीर्घकालीन प्रावधान**		
	(अ) कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान :		
	(i) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों हेतु	–	1,24,388
	(ii) ग्रेच्यूटी हेतु	–	31,565
		–	**1,55,953**
8.	**स्थगित कर दायित्व (शुद्ध) (Deferred tax liability (Net))**		
	(i) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर दायित्वों का हिस्सा हैं :		
	(अ) अचल संपत्तियों के पुस्तकों के शेष एवं कर शेषों में अंतर पर	38,91,352	16,02,464
		38,91,352	16,02,464
	(ii) उन मदों का कर प्रभाव जो स्थगित कर संपत्तियों का हिस्सा है :		
	(अ) प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों तथा ग्रेच्यूटी हेतु प्रावधान	–	48,431
	(ब) आयकर अधिनियम की धारा 43B के अंतर्गत अस्वीकृत।	–	3,02,730
	(स) आयकर अधिनियम की धारा 40(a)(i)(a) के अंतर्गत अस्वीकृत।	13,47,167	–
	(द) आयकर अधिनियम की धारा 35D के अंतर्गत अस्वीकृत।	4,22,995	5,37,136
		17,70,162	8,88,297
	शुद्ध स्थगित कर दायित्व/(संपत्तियां)	**21,21,190**	**7,14,167**
9.	**अल्पकालीन ऋण**		
	(अ) बैंको से कार्यशील पूंजी ऋण	555,84,193	–
	(बैंकों में सावधि जमा से सुरक्षित)	**555,84,193**	**–**
10.	**व्यावसायिक देनदारियाँ**		
	(अ) व्यावसायिक देनदारियाँ (स्वीकृतियों को छोडकर)	688,19,157	238,89,929
	(नोट 34 को देखें)	**688,19,157**	**238,89,929**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
11.	अन्य चालू दायित्व		
	(अ) प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि एवं लौटाने योग्य	40,84,578	11,97,775
	(ब) वैधानिक देय	14,44,698	8,91,857
	(स) अचल संपत्तियों के क्रय हेतु देय	450,00,000	1157,46,624
	(द) व्यावसायिक/प्राप्त प्रतिभूति जमायें	281,45,708	221,94,499
	(य) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	3,20,754	15,81,614
	(र) प्राप्त अनुदान (शुद्ध उपयोग) (नोट 33 को देखें)	941,10,847	–
		1731,06,585	**1416,12,369**
12.	अल्पकालीन प्रावधान		
	(अ) कर्मचारी लाभों हेतु प्रावधान		
	(i) ग्रेच्यूटी हेतु	–	814
	(ब) प्रावधान – अन्य		
	(i) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) हेतु प्रावधान	91,82,630	14,80,423
	(ii) प्रस्तावित सीमित प्रतिफल (डीविडेंड) पर कर का प्रावधान	15,60,588	2,51,598
	(iii) आय कर हेतु प्रावधान (शुद्ध अग्रिम कर रू.52,49,934)	26,37,277	–
		133,80,495	**17,32,835**

13. अचल संपत्तियां (राशि ₹ में)

	विशिष्टियाँ	सकल ब्लॉक			संचित मूल्य ह्रास			शुद्ध ब्लॉक	
		01 अप्रैल, 2013 को स्थिति	वृद्धि	31 मार्च 2014 को स्थिति	01 अप्रैल, 2013 को स्थिति	वर्ष में मूल्य ह्रास की राशि	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
(अ)	**मूर्त संपत्तियां (स्वयं की)**								
	प्लांट एवं उपकरण	1129,91,716	245,54,537	1375,46,253	35,78,071	121,89,050	157,67,121	1217,79,132	1094,13,645
	फर्नीचर तथा फिक्चर्स	9,36,772	3,10,879	12,47,651	19,766	71,105	90,871	11,56,780	9,17,006
	ऑफिस उपकरण	6,28,960	2,29,744	8,58,704	19,917	74,823	94,740	7,63,964	6,09,043
	कम्प्यूटर	12,00,731	7,12,746	19,13,477	1,32,438	5,51,970	6,84,408	12,29,069	10,68,293
	योग (अ)	**1157,58,179**	**258,07,906**	**1415,66,085**	**37,50,192**	**128,86,948**	**166,37,140**	**1249,28,945**	**1120,07,987**
	गतवर्ष	–	1157,58,179	1157,58,179	–	37,50,192	37,50,192	1120,07,987	–
(ब)	**अमूर्त संपत्तियां**								
	ट्रेड मार्क	90,000	–	90,000	3,699	18,000	21,699	68,301	86,301
	योग (ब)	**90,000**	**–**	**90,000**	**3,699**	**18,000**	**21,699**	**68,301**	**86,301**
	गतवर्ष	–	90,000	90,000	–	3,699	3,699	86,301	–
(स)	**प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य**	–	–	–	–	–	–	711,26,511	–
	योग (स)	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**711,26,511**	**–**

		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (राशि ₹ में)	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि के लिए (राशि ₹ में)
(द)	मूल्य ह्रास एवं संपत्तियों की क्षति संबंधी खर्चे		
	मूर्त संपत्तियों पर	128,86,948	37,50,192
	अमूर्त संपत्तियों पर	18,000	3,699
	घटाईए : अनुदान से खरीदी गई सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास	(13,538)	–
		128,91,410	**37,53,891**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
14.	**दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) प्रतिभूति जमा	1,98,000	30,000
	(ब) न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), शेष की पात्रता	–	2,47,320
	(स) अग्रिम कर (स्रोत पर कर की कटौती सहित)	8,72,648	8,72,648
		10,70,648	**11,49,968**
15.	**स्टॉक**		
	(लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो कम हो उस पर)		
	(अ) कच्चा माल	3,00,745	–
	(ब) तैयार माल	80,51,015	–
	(स) स्टॉक इन ट्रेड	103,76,338	94,59,195
	(द) स्टॉक इन ट्रेड (इन ट्रांजिट)	136,73,993	127,05,987
	(य) स्टॉर्स तथा स्पेयर्स	19,14,808	2,48,322
		343,16,899	**224,13,504**
16.	**व्यावसायिक लेनदारियाँ**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) देय तिथि से 6 माह से कम अवधि के लिए बकाया	394,24,810	35,37,298
		394,24,810	**35,37,298**
17.	**रोकड तथा बैंक शेष**		
	(अ) रोकड तथा रोकड तुल्य		
	(i) बैंक में जमा :		
	(अ) चालू खातों में	975,59,429	27,43,600
	(ब) अन्य बैंक शेष		
	(i) जमा खाते में (वास्तविक परिपक्वता की अवधि तीन महीनों से अधिक)	1530,95,424	550,00,000
		2506,54,853	**577,43,600**
	उपरोक्त में से, लेखा मानक 3 की परिभाषा के अनुसार रोकड़ एवं रोकड तुल्य	975,59,429	27,43,600

नोट :

(i) बैंक में जमा राशि में रु. 160,00,000 की इस प्रकार की राशि जमा है, जिसकी परिपक्वता अवधि आर्थिक चिट्ठे की तिथि से 12 माह से अधिक है।

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
18.	**अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम**		
	(असुरक्षित, उचित माने गये)		
	(अ) कर्मचारियों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1,740	6,997
	(ब) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	34,67,695	131,40,332
	(स) पूर्व प्रदत्त व्यय	16,46,934	2,15,236
		51,16,369	**133,62,565**
19.	**अन्य चल संपत्तियां**		
	(असुरक्षित, उचित मानी गई)		
	(अ) ब्याज उपार्जित परन्तु बैंक जमाओं पर देय नहीं	49,82,640	10,93,254
		49,82,640	**10,93,254**
		31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर	**31 मार्च 2013 समाप्त अवधि पर**
20.	**व्यवसाय से आय**		
	(अ) उत्पादों की बिक्री (निर्दिष्ठ नोट संख्या (i) देखें)	44336,48,428	16109,16,419
		44336,48,428	**16109,16,419**
	नोट:		
	विक्रय किये गये उत्पाद :		
	(i) व्यावसायिक माल		
	(अ) कच्चा दुग्ध	42858,89,648	15956,85,079
	(ब) पॉली पैक दुग्ध	506,83,103	-
	(स) पशु आहार	412,35,705	152,31,340
	कुल	**43778,08,456**	**16109,16,419**
	(ii) निर्मित माल		
	(अ) घी	368,00,986	-
	(ब) स्कीमड दुग्ध	190,38,986	-
	कुल	**558,39,972**	**-**
	योग (i+ii)	**44336,48,428**	**16109,16,419**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि पर
21.	**अन्य आय**		
	(अ) ब्याज से आय		
	(i) बैंक जमाओं पर	80,27,122	12,35,520
	(ब) अन्य गैर–व्यवसायिक आय		
	(i) सदस्यता शुल्क	11,71,400	36,61,593
	(ii) विविध आय	7,47,023	–
		99,45,545	**48,97,113**
22.	**खपत की गई सामग्री की लागत**		
	कच्चा एवं पैकिंग सामग्री		
	(अ) प्रारम्भिक स्टॉक	–	–
	(ब) जोड़िये : क्रय	571,12,147	–
		571,12,147	–
	(स) घटाईए : अंतिम स्टॉक	3,00,745	–
		568,11,402	**–**
23.	**व्यवसायिक माल का क्रय**		
	(अ) कच्चा दुग्ध	37287,84,665	14100,55,380
	(ब) खरीद संबंधी व्यय	1323,26,936	527,18,491
	(स) लॉयल्टी इन्सेन्टिव	202,94,794	–
	(द) पॉली पैक दुग्ध	530,70,065	–
	(य) पशु आहार	389,64,179	175,66,825
		39734,40,639	**14803,40,696**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि पर
24.	**तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में परिवर्तन**		
	तैयार माल के स्टॉक एवं स्टॉक इन ट्रेड में कमी/(वृद्धि)		
	(अ) वर्ष के प्रारम्भ में स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	94,59,195	–
	स्टॉक इन ट्रांजिट	127,05,987	–
		221,65,182	–
	(ब) वर्ष के समापन पर स्टॉक		
	स्टॉक इन ट्रेड	103,76,338	94,59,195
	तैयार माल	80,51,015	–
	स्टॉक इन ट्रांजिट	136,73,993	127,05,987
		321,01,346	221,65,182
	स्टॉक में शुद्ध कमी या (वृद्धि)	**(99,36,164)**	**(221,65,182)**
25.	**कर्मचारी संबंधी व्यय**		
	(अ) वेतन एवं मजदूरी	439,22,969	161,13,491
	(ब) भविष्य निधि तथा अन्य कोषों में योगदान	33,45,107	9,86,462
	(स) कर्मचारी कल्याण पर व्यय	1,52,851	18,776
		474,20,927	**171,18,729**
26.	**वित्त लागत**		
	(अ) ऋण पर ब्याज व्यय	10,13,336	–
	(ब) आयकर भुगतान में विलम्ब पर ब्याज	2,28,969	–
		12,42,305	**–**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2013 को समाप्त अवधि पर
27.	अन्य व्यय		
	(a) स्टॉर्स तथा स्पेयर्स का उपभोग	13,50,068	13,86,263
	(b) पॉवर एवं फ्यूल	5,85,910	2,59,804
	(c) दुग्ध अवशीतन शुल्क	466,40,717	214,56,743
	(d) परिवर्तन शुल्क	16,36,831	–
	(e) किराया	19,72,634	16,08,550
	(f) दर तथा कर	1,91,510	47,156
	(g) मरम्मत एवं रख–रखाव – भवन	2,43,973	82,821
	(h) मरम्मत एवं रख–रखाव – मशीनरी	120,94,047	3,06,619
	(i) मरम्मत एवं रख–रखाव – अन्य	3,25,908	51,623
	(j) विज्ञापन एवं व्यापार संवर्द्धन	13,20,316	9,697
	(k) भाडा, अग्रेषण एवं वितरण व्यय	2307,57,524	923,35,434
	(l) बीमा व्यय	12,83,739	5,67,237
	(m) विधिक एवं पेशेवर शुल्क	33,96,882	13,72,635
	(n) अंकेक्षकों का पारिश्रमिक नीचे दिया गया नोट (i) देखें	9,55,060	6,74,160
	(o) यात्रा एवं परिवहन व्यय	73,36,159	21,64,346
	(p) प्रशिक्षण व्यय	2,55,312	9,77,913
	(q) संविदात्मक एवं प्रतिधारण व्यय	213,00,017	60,33,619
	(r) संप्रेषण व्यय	16,08,222	4,54,336
	(s) प्रारंम्भिक व्यय	–	21,72,881
	(t) विविध व्यय	18,46,923	8,62,252
		3351,01,752	**1328,24,089**
	नोट:		
	(i) अंकेक्षकों को देय शुल्क में निम्न शामिल है :		
	(अ) वैधानिक अंकेक्षण शुल्क	7,00,000	5,00,000
	(ब) कर अंकेक्षण शुल्क	1,50,000	1,00,000
	(स) उपरोक्त पर सेवाकर	1,05,060	74,160
		9,55,060	**6,74,160**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
28.	आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धतायें	Nil	Nil

29. कर्मचारी लाभ योजनायें

निर्धारित योगदान योजनायें

कम्पनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि के रूप में निर्धारित लाभ योजनायें प्रदान करती है। भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। भविष्य निधि में योगदान को क्षैत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है। कर्मचारी तथा कम्पनी दोनों ही पूर्वनिर्धारित योगदान, भविष्य निधि तथा पेंशन निधि कोष में जमा कराते हैं। आमतौर पर यह योगदान कर्मचारी के वेतन पर एक निश्चित अनुपात में होते है।

कम्पनी ने रू.27,86,775 (पिछले वर्ष रू. 8,16,445) की राशि को लाभ–हानि खातें में भविष्य निधि तथा पेंशन निधि के लिये स्वीकृत किया है।

निर्धारित लाभ योजना

कम्पनी अपने कर्मचारियों को निर्धारित लाभ योजना के रूप में ग्रेच्युटी योजना (एक मुश्त राशि) प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजनायें कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्ति से पूर्व प्रदान की गई सेवाओं के वर्षो तथा प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है। ग्रेच्युटी योजना में सभी नियमित कर्मचारी शामिल है। ग्रेच्यूटी योजना हेतु कम्पनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित तथा आयकर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ट्रस्ट में योगदान देती है। प्रतिबद्धताओं का बीमांकिक निर्धारण वर्ष के अंत में किया जाता है। बीमांकिक राशि का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। अनुमानित बीमांकिक राशि में परिवर्तन के कारण होने वाले लाभ/हानि को लाभ/हानि खाते से वसूला जाता है।

निम्न टेबल ग्रेच्यूटी तथा वित्तीय विवरणों में निर्धारित लाभ योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कोष में पोषित स्थिति को दर्शाती है।

(i)	**निर्धारित लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मुल्य	1,70,051	–
	ब्याज लागत	15,475	–
	चालू सेवा लागत	5,59,509	1,70,051
	दायित्वों पर बिमांकिक (लाभ) /हानि	(2,688)	–
	वर्ष के समापन पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	**7,42,347**	**1,70,051**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
(ii)	**योजना संपत्तियों का उचित मूल्य**		
	वर्ष के प्रारंभ में योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	1,37,672	-
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	44,871	34
	योगदान	7,50,277	1,37,638
	योजना सम्पत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(30,907)	-
	वर्ष के समापन पर योजना सम्पत्तियों का उचित मूल्य	**9,01,913**	**1,37,672**
(iii)	**योजना संपत्तियों पर प्राप्ति**		
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	44,871	34
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(30,907)	-
	योजना संपत्तियों से वास्तविक प्राप्ति	**13,964**	**34**
(iv)	**चिट्ठे में स्वीकृत की गई राशि**		
	निर्धारित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	7,42,347	1,70,051
	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	9,01,913	137,672
	चिट्ठे में स्वीकृत शुद्ध दायित्व/(संपत्ति)	**(1,59,566)**	**32,379**
(v)	**लाभ/हानि विवरण में स्वीकृत खर्चे**		
	वर्तमान सेवा लागत	5,59,509	1,70,051
	ब्याज व्यय	15,475	-
	योजना संपत्तियों पर अनुमानित प्राप्ति	(44,871)	(34)
	वर्ष के दौरान निर्धारित बीमांकिक शुद्ध लाभ/(हानि)	28,219	-
	लाभ/हानि खातें में स्वीकृत व्यय	**5,58,332**	**1,70,017**
(vi)	**चिट्ठे का मिलान**		
	वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध दायित्व / (संपत्तियाँ)	32,379	-
	उपरोक्तानुसार व्यय	5,58,332	1,70,017
	योगदान	(7,50,277)	(1,37,638)
	वर्ष के समापन पर शुद्ध दायित्व/(संपत्तियां)	**(1,59,566)**	**32,379**

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013

कम्पनी की योजना संपत्तियों का प्रबंधन ट्रस्ट तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा, कम्पनी के ग्रेच्यूटी योजना के दायित्व को पूरा करने के लिये, कम्पनी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी के अर्न्तगत किया जाता है। योजना संपत्तियों की श्रेणी के बारें में, सामूहिक ग्रेच्युटी कोष में विनियोंग पद्धति के संदर्भ में कम्पनी के पास सूचना उपलब्ध नही है।

अगले वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारी कोषों में रू. 10,00,000/- का योगदान होने का अनुमान है।

निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता तथा खर्चो हेतु बीमांकिक गणना निम्न अनुमानों पर आधारित हैं जिनमें यदि परिवर्तन होता है तो निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता के आकार, पोषण आवश्यकताओं तथा खर्चो की राशि में परिवर्तन हो सकता है।

(vii) मुख्य बीमांकिक अनुमान

	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
बट्टे की दर	9.10% वार्षिक	8.50% वार्षिक
अनुमानित वेतन वृद्धि	10.00% वार्षिक	5.00% वार्षिक
योजना संपत्तियों पर अनुमानित आय	8.75% वार्षिक	8.70% वार्षिक
संघर्षण दर (Attrition rate)		
30 वर्ष से कम	3%	3%
आयु 31 से 44 वर्ष	2%	2%
44 वर्ष से अधिक आयु	1%	1%
प्रयुक्त मृत्यु-दर सारणी	एल.आई.सी. (1994-96)	एल.आई.सी. (1994-96)
Mortiality table used	मृत्यु-दर सारणी (अंतिम)	मृत्यु-दर सारणी (अंतिम)

बट्टे की दर चिट्ठे की तिथि को भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रचलित बाजार लाभ पर निर्भर करती है।

समान मुख्य बीमांकिक मान्यताओं का प्रयोग प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियों की गणना हेतु किया जाता है।

अनुभव समायोजन

	31 मार्च 2014	31 मार्च 2013
निर्धारित लाभ प्रतिबद्धता का वर्तमान मूल्य	7,42,347	1,70,051
योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	9,01,913	1,37,672
पोषित स्थिति	(1,59,566)	32,379
प्रतिबद्धताओं पर लाभ/(हानि)	-	-
योजना संपत्तियों पर लाभ/(हानि)	(30,907)	-

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

30. लीज व्यवस्था

कम्पनी ने कार्यालय भवनों हेतु लीज व्यवस्था की है। कम्पनी ने लीज किराया संबंधी रू.19,72,634 (पिछले वर्ष रू. 16,08,550) के खर्चो को लाभ–हानि खाता विवरण में दर्शाया है।

कम्पनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के भवन की लीज 8 वर्ष तथा 8 माह के लिए की गई है जो 6 माह का नोटिस देकर Lessee की मांग पर निरस्त की जा सकती है। अनुबंध में लीज के भुगतान को प्रत्येक 3 वर्ष बाद 15 प्रतिशत की दर से बढाने का प्रावधान है। कलस्टर एवं बिन्दायका कार्यालय की लीज क्रमश: 6 वर्ष और 5 वर्ष की अवधि के लिए है एवं लीज़ का भुगतान प्रत्येक वर्ष बाद 5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा।

भावी न्यूनतम लीज भुगतान निम्न प्रकार है :

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को स्थिति	31 मार्च 2013 को स्थिति
	एक वर्ष बाद देय नही	18,88,175	13,89,000
	एक वर्ष बाद देय पर पांच वर्ष बाद देय नही	74,08,815	54,04,500
	पांच वर्ष बाद देय	29,60,554	44,96,500
		122,57,544	**112,90,000**

31. प्रति समता अंश आय

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	इकाई	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2013 समाप्त अवधि पर
	कर के बाद शुद्ध लाभ	रूपये	175,56,437	27,23,445
	वर्ष के दौरान भारित औसत अदत समता अंशों की संख्या	संख्या	4,56,726	4,22,978
	प्रति समता अंश न्यूनतम मूल्य	रूपये	100	100
	प्रति अंश मूल आय	रूपये	38.44	6.44
	डायल्यूटेड आय की गणना हेतु प्रयोग किये गये समता अंश	संख्या	4,56,726	4,22,978
	प्रति अंश डायल्यूटेड आय	रूपये	38.44	6.44

32. लेखा–मानक AS–18 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' का विवरण निम्न प्रकार है:–

(अ) संबंधित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूप

संबंध का स्वरूप	व्यक्ति का नाम
मुख्य प्रबंधक अधिकारी (के.एम.पी.)	अनिल कुमार माथुर

(ब) उपरोक्त संबंधित पक्ष से वर्ष के दौरान लेन–देन की मात्रा एवं स्वरूप का विवरण निम्न है :–

(राशि ₹ में)

लेन–देन का स्वरूप	के.एम.पी.	योग
प्रबंधक पारिश्रमिक		
अनिल कुमार माथुर	24,13,249	24,13,249
	(16,39,987)	(16,39,987)

कोस्टक में दिखाई गई संख्या पिछले वर्ष की संख्या को दर्शाती है।

33. सरकारी अनुदानों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष पर	31 मार्च 2013 समाप्त अवधि पर
	नेशनल डेयरी डवलपमेन्ट बोर्ड से प्राप्त अनुदानों का विवरण एवं उनका उपयोग निम्न प्रकार है:–		
	(अ) वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1567,20,001	–
	(ब) वर्ष के दौरान अनुदान का उपयोग		
	(i) पूंजीगत संपतियों के लिये		
	– अचल संपत्तियों के लिये	17,10,000	–
	– सम्पत्तियाँ जो स्थापना के अन्तर्गत	543,90,951	–
		561,00,951	–
	(ii) आयगत व्यय के लिये	65,08,203	–
	कुल उपयोग (i) + (ii)	626,09,154	–
	(स) शेष को आगे ले गये (अ–ब)	941,10,847	–

नोट : पूंजीगत संपत्तियों के खरीद में उपयोग किया गया अनुदान, स्थगित अनुदान में दर्शाया गया है तथा आयगत अनुदान के उपयोग को उससे संबंधित खर्चो में समायोजित कर दिया गया है। (देखें नोट 21)

34. प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 (MSMED Act) के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर कोई भी आपूर्तिकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी उद्योग विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत नही है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत कम्पनी की कोई भी राशि बकाया नही है।

35. कम्पनी दुग्ध तथा पशु आहार के व्यवसाय से संबद्ध है। खण्ड सूचना के लेखा मानक AS–17 के अनुसार प्रकटीकरण की कम्पनी को कोई आवश्यकता नही है क्योंकि कम्पनी एक ''व्यावसायिक गतिविधि'' से संबंधित है तथा एक ही भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत है।

36. पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण 19 मई, 2012 (कम्पनी के निगमित की दिनांक) से 31 मार्च 2013 के लिये तैयार किये गये थे इस कारण चालू वर्ष के आंकड़े के साथ तुलनात्मक नही है।

37. चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रगटीकरण के अनुसार, जहां भी आवश्यक है, पिछली अवधि के आंकड़ो को पुन:वर्गीकृत/पुन: एकत्र किया गया है।

वास्ते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

ह./–	ह./–	ह./–
लाल चंद चौधरी	**अनिल कुमार**	**अनिल कुमार माथुर**
निदेशक	निदेशक	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी

ह./–	ह./–
अनूप गुप्ता	**पी.एन. वर्मा**
कम्पनी सचिव	वरिष्ठ प्रबन्धक–वित्त

स्थान : जयपुर
दिनांक : 27 जून, 2014

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

नोट्स, जो कि वित्तीय विवरण का हिस्सा है।

1. कम्पनी के बारे में

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग IXA के तहत दिनांक 19 मई, 2012 को किया गया था।

दिनांक 1 दिसंबर, 2012 से कम्पनी ने राजस्थान में दुग्ध क्रय करने का कार्य प्रारम्भ किया। कम्पनी राजस्थान के गांवों के दुग्ध उत्पादकों से दुग्ध संकलन केन्द्रों के माध्यम से दुग्ध क्रय कर विभिन्न डेयरियों को बेचती है। कम्पनी कच्चे दुग्ध का भी विक्रय करती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां निम्न प्रकार हैं:–

a. लेखांकन का आधार

कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों 211(3C) (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का जनरल पत्र 15/2013 दिनांक13.09.2013 लागू हो रहे है) और कम्पनी अधिनियम, 1956/ कम्पनी अधिनियम, 2013 से संबंधित लागू होने वाले प्रावधान में दिये गये लेखा मानकों तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए बनाये गये हैं। कम्पनी के वित्तीय विवरण उपचय लेखांकन (Accrual Accounting) के आधार पर ऐतिहासिक लागतों के अनुसार बनाये गये हैं। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के संगत में इस वर्ष भी उन्हीं नीतियों का पालन किया गया है।

b. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबन्धकों द्वारा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनुमानों तथा धारणाओं का प्रयोग संपत्तियों एवं दायित्वों की राशियों तथा वर्ष के दौरान होने वाले आय एवं व्ययों की दर्शायी गई राशियों के लिए किया गया है। कम्पनी प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रयोग किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं उचित हैं। इन अनुमानों के कारण भावी परिणामों में अंतर हो सकता है एवं वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के अंतर को, परिणामों की जानकारी प्राप्त होने की अवधि में निर्धारित किया जाता है।

c. रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य से)

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक में जमायें शामिल हैं। रोकड़ तुल्य अल्पकालीन शेष होते हैं (जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 माह या इससे कम लेने की तिथि से) जो नकदी निवेश के समान होते हैं तथा जिन्हें किसी भी समय रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है तथा जिनमें मूल्य परिवर्तन की जोखिम का नगण्य प्रभाव होता है।

d. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा बनाया गया है जिससे लाभ हानि खाते को अप्रत्याशित खर्चों, कर तथा अरोकड़ प्रकृति के खर्चे, भविष्य में प्राप्त होने वाली राशियाँ, भुगतान अथवा पूर्व में प्राप्त किए गये राशियों एवं भुगतान को समायोजित करते हुए बनाया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर रोकड़ प्रवाह को कम्पनी की परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाओं के आधार पर अलग–अलग किया जाता है।

e. आय का निर्धारण

ऐसी आयों को विक्रय से आय माना जाता है जिसमें शुद्ध प्राप्ति, व्यापारिक बट्टे महत्वपूर्ण जोखिम के हस्तांतरण तथा क्रेता से

स्वामित्व का प्रतिफल जोकि ग्राहकों को माल की सुपुर्दगी के समय होता है, को विक्रय के रूप में जाना जाता है।

जमाओं पर ब्याज की आय को उपार्जित के आधार पर आय के रूप में माना जाता है।

f. अचल संपत्तियां (मूर्त/अमूर्त)

अचल संपत्तियों को उनकी लागत में से संचित ह्रास/परिशोधन तथा यदि कोई क्षति है तो उसको कम करने के उपरांत लिया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत का निर्धारण व्यापारिक बट्टा तथा छूट के बाद के क्रय मूल्य में कोई भी लगने वाला आयात तथा अन्य कर (ऐसे करों को छोड़कर जो कर अधिकारियों से पुन: वापस लिया जाना है) , किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष खर्चे जो उस संपत्ति को वांछित प्रयोग में लाने के लिये किये जाने आवश्यक हैं, ऐसी संपत्ति पर प्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी प्रकार के आकस्मिक खर्चे तथा संपत्ति क्रय करने के हेतु लिये गये ऋण पर उसे वांछित प्रयोग हेतु चालू हो जाने तक की तिथि के ब्याज को शामिल किया जाता है। अचल संपत्तियों पर क्रय करने के उपरांत किये गये किसी भी प्रकार के अन्य खर्चे जिनसे संपत्ति की भावी निष्पादकता में पूर्व की निष्पादकता की तुलना में वृद्धि होती है का पूंजीकरण किया जाता है।

प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य

संपत्तियाँ जिनको अभी प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है उनको लागत पर दर्शाया गया है जिसमें सीधी लागत और उससे संबंधित खर्च जिसमें आकस्मिक खर्चे और आरोप्य ब्याज की राशि शामिल है।

g. मूल्य ह्रास तथा परिशोधन

मूल्य ह्रास का निर्धारण कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में दी गई दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति या संपत्ति के प्रयोग काल में से जो भी अधिक हो के आधार पर किया जाता है।

मूल्य–ह्रास की दरें निम्न प्रकार हैं :–

विवरण	मूल्य–ह्रास की वार्षिक दर (% में)
प्लांट एवं उपकरण	9.50
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	6.33
ऑफिस इक्यूपमेंट	9.50
कम्प्यूटर्स	33.33
ट्रेड मार्क	20.00

मूल्य–ह्रास का आंकलन वृद्धि की तिथि से आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

संपत्तियाँ जिनकी लागत रु. 5,000/– से ज्यादा नहीं है उन पर 100 प्रतिशत मूल्य–ह्रास लगाया गया है। परन्तु जहाँ कुल लागत ऐसी सभी मशीनों की जिनमें प्रत्येक की लागत रु. 5000/– से कम है, प्लांट एंड मशीनरी की कुल लागत के 10% से अधिक है तो उपरोक्त दी गई तालिका के अनुसार मूल्य –ह्रास दर लगेगी।

5,000 रुपयें या इससे कम मूल्य की एकल संपत्तियों को उनके क्रय के वर्ष में ही मूल्य–ह्रासित किया जाता है।

h. स्टॉक

स्टॉक में सभी प्रकार का कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री, तैयार माल, भण्डार तथा उपकरण शामिल हैं। स्टॉक का मूल्यांकन लागत पर और वास्तव में वसूल हो सकने वाली राशि में जो कम हो, पर किया जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत विधि के आधार पर किया जाता है। लागत में वे सभी खर्चे सम्मिलित हैं जो स्टॉक को उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने हेतु किये गये हैं। तैयार माल में ऊपरी खर्चों का उचित अनुपात सम्मिलित है।

i. अनुदान

सरकारी अनुदान एवं रियायत तब मानी जाती है जब उसका कोई उचित आश्वासन हो कि कम्पनी उसके साथ संलग्न शर्तों का पालन करेगी तथा अनुदान/रियायत प्राप्त करेगी। ऐसे सरकारी अनुदान जो मूल्य ह्रसित स्थायी संपत्तियों के संबंध में है उसे आस्थगित अनुदान के तहत माना जाता है तथा उसे संपत्ति के उपयोग अवधि के दौरान एक सुनियोजित एवं तर्कसंगत तरीके से लाभ–हानि विवरण में दर्शाया जाता है, अर्थात इस प्रकार के अनुदान को उस अवधि की आय पर उस अनुपात में आवंटित कर दिया जाता है जिस अनुपात में उन पर घटती दर से मूल्य–ह्रास लगाया जायेगा। अन्य सरकारी अनुदान एवं रियायत को एक ऐसी आवश्यक अवधि के दौरान एक सुनियोजित तरीके से आय के रूप में माना जाता है जिससे ऐसी लागत वसूल हो जाये, जिसे पूरा करना इसका उद्देश्य था तथा संबंधित खर्चों की सूचना देते समय इस आय को खर्चों में से घटा दिया जाता है।

j. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ग्रेच्यूटी तथा अवकाश का प्रतिफल हेतु प्रावधान शामिल है।

(i) निर्धारित योगदान योजनायें।

भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना में कम्पनी के योगदान को निर्धारित अंशदान योजना माना जाता है। योगदान की राशियों को ध्यान में रखते हुए लाभ–हानि खातों में दर्शाया जाता है।

(ii) निर्धारित लाभ योजनायें।

ग्रेच्यूटी को निर्धारित लाभ योजना के तहत माना गया है। ग्रेच्यूटी को चिट्ठे की तिथि को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है। **प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट** पद्धति के अनुसार दायित्वों में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रतिवेदन की तिथि को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है। बीमांकिक लाभों तथा हानियों को लाभ–हानि खाते में दर्शाया जाता है।

(iii) अल्प–कालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के अल्पकालीन अदत्त लाभों की राशियों को उन कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की एवज में, उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष में उनके द्वारा सेवाएं दी गई है।

(iv) दीर्घ–कालीन कर्मचारी लाभ

ऐसी प्रतिपूर्ति अनुपस्थितियां, जो कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान करने की अवधि के समापन के 12 माह की अवधि में होने की अपेक्षा नहीं थी को एक निर्धारित लाभ दायित्व के आधार पर वर्तमान मूल्य पर दायित्व का निर्धारण चिट्ठे की तिथि को बीमांकन मूल्य के आधार पर किया जाता है।

k. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण, कर पश्चात् शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान अदत्त रहे समता अंशों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है। डायल्यूटेड प्रति अंश आय की गणना, कर पश्चात् के लाभों को भारित औसत विधि से वर्ष के दौरान अदत्त रहे भारित औसत समता अंशों की संख्या (एन्टी–डायल्यूटेड समता अशों की संख्याओं को छोड़कर) से भाग देकर किया जाता है ।

l. आय पर कर

आयकर में चालू कर तथा स्थगित कर (Deferred Tax) शामिल हैं। चालू कर, कर की वह राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय है।

स्थगित कर को समय के अन्तराल से जाना जाता है। कर योग्य आय तथा लेखांकन आय में अन्तर के कारण जो एक समयावधि में अर्जित हुई है जिसको उसके बाद की एक या उससे अधिक अवधि में वापस किया जा सकता है। स्थगित कर की गणना की दर तथा गणना की तिथि को लागू होने वाले कर के नियमों के आधार पर की जाती है। स्थगित कर दायित्वों की गणना सभी विभिन्न समयावधियों के लिये की जाती है। स्थगित कर सम्पत्तियों की पहचान विभिन्न मदों की समय भिन्नता के आधार पर (गैर–शोषित–मूल्य ह्रास

(Unabsorbed Depreciation) एवं आगे ले जायी गई हानियों को छोड़कर) यह मानते हुए कि भविष्य में प्रर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे इनकी वसूली की जा सकती है। इस प्रकार अगर कोई गैर–शोषित–मूल्य ह्रास तथा आगे ले जायी गई हानियाँ बचती है तो पर्याप्त भावी कर योग्य आय संपत्तियों की वसूलियों हेतु उपलब्ध रहेगी। स्थगित कर संपत्तियों तथा दायित्वों का समायोजन किया जाता है यदि ऐसे मद लागू होने वाले समान कर प्रावधानों के आधार पर है तथा कम्पनी को इस प्रकार के समायोजन को कानूनी तौर पर लागू करने का अधिकार है।

m. ऋण की लागत

ऋण की लागत में ब्याज तथा उससे संबंधित विभिन्न लागतों को शामिल किया जाता है। ऋण की लागत वह लागत है, जो प्रत्यक्ष रूप से किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने अथवा बनाने में अथवा किसी अवधि विशेष के दौरान उस संपत्ति के निर्माण/विकास की गतिविधियों को पूरा करने में उसके पूंजीकरण तक लगायी जाती हैं और इस प्रकार की लागत को उस पूंजीकृत संपत्ति की लागत ही माना जाता है। शेष सभी ऋण की लागतों को खर्चे मानकर लाभ–हानि विवरण में उस वर्ष में दिखाया जाता है जिस वर्ष में यह खर्चा किया जाता है।

n. संपत्तियों की क्षति से हानि

प्रत्येक आर्थिक चिट्ठे की तिथि को कम्पनी संपत्तियों के मूल्यों की समीक्षा यह निर्धारण करने के लिए करती है कि ऐसा कोई लक्षण तो प्रकट नहीं हो रहा जिससे कम्पनी की संपत्तियों को किसी प्रकार की कोई क्षति/हानि हुई हो। अगर ऐसा कोई लक्षण प्रकट होता है तो उस संपत्ति के वसूल किये जा सकने योग्य मूल्य का निर्धारण उस संपत्ति को हुई क्षति के मूल्यांकन के लिये किया जाता है। किसी भी संपत्ति से वसूल की जा सकने वाली राशि उस संपत्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य तथा प्रयोग किये गये मूल्य से अधिक है। प्रयोग की गई संपत्ति के मूल्य का निर्धारण करने में अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह यह मानते हुए की यह संपत्ति नियमित रहेगी तथा इसके निस्तारण से प्राप्त आय को इसके वर्तमान मूल्य में से एक पूर्व–बट्टा दर जोकि वर्तमान बाजार दर को उस समय पर धन की कीमत तथा उस संपत्ति विशेष से संबद्ध जोखिम के निर्धारण को दर्शाती है, को कम कर लिया जायेगा।

संपत्ति की क्षति की वापसी को लाभ–हानि खाते में आय के रूप में माना जाता है।

o. प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

एक प्रावधान तब माना जाता है जब किसी पूर्वकालिक घटना के कारण वर्तमान में कोई दायित्व उत्पन्न होता है तथा यह भी संभावना है कि इस प्रकार के दायित्व को पूरा करने के लिए स्त्रोतों का बर्हिगमन होगा, जिसके लिये उचित अनुमान लगाये जा सकें। प्रावधानों (कर्मचारियों के लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्यों पर भुनाया नहीं जाता है, तथा चिट्ठे बनाने की तिथि को इस प्रकार के दायित्वों का निर्धारण सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक चिट्ठे बनाने की तिथि को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमानों को दर्शाने हेतु समायोजित किया जाता है। आकस्मिक सम्पत्तियों को वित्तीय विवरण में दर्शाया नहीं जाता है। आकस्मिक दायित्वों को नोट लगाकर दर्शाया जाता है।

p. लीज

कोई भी ऐसी लीज व्यवस्था जिसमें जोखिम तथा प्रतिफल की घटनायें उस सम्पत्ति के मालिक में निहित होती है तो ऐसी लीज को संचालनात्मक लीज के रूप में जाना जाता है। संचालन लीज के अंतर्गत लीज किराये को लाभ–हानि खाते के विवरण के अंतर्गत सीधी रेखा पद्धति के आधार पर दर्शाया जाता है।

q. महत्वपूर्ण घटनायें

चिट्ठे की तिथि के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को जानकारी में लाया जाता है।

r. संचालन चक्र

कम्पनी के उत्पादों एवं क्रियाओं की प्रकृति तथा संपत्तियों के क्रय एवं उनकी रोकड़ अथवा रोकड़ तुल्य के रूप में वसूली के आधार पर कम्पनी ने अपने संचालन चक्र की अवधि इसकी संपत्तियों तथा दायित्वों के चालू एवं गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से 12 माह रखी है।

PAAYAS™
पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- डी-232-233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर, वैशाली नगर, जयपुर-302 021, राजस्थान

दूरभाष नं. +91-141-2352737, Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com

प्राप्ति रसीद (Acknowledgement)

फोलियो संख्या : ....

सदस्य कोड :

मैं..

निवासी..

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड का सदस्य/ की सदस्या हूँ। मैनें कम्पनी द्वारा भेजी गई द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा विवरण सभी अनुलग्नों के साथ प्राप्त कर ली है।

सदस्य के हस्ताक्षर/अगूंठे का निशान

दिनांक : ....

स्थान : ....

बुक–पोस्ट

प्रेषक :

पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड

(CIN : U01211RJ2012PTC038955)
रजिस्टर्ड कार्यालय:– डी–232–233, चौथी मंजिल, अटलान्टिस टॉवर,
वैशाली नगर, जयपुर–302 021, राजस्थान
दूरभाष नं. +91–141–2352737
Email : info@paayasmilk.com, www.paayasmilk.com